

मु.नं. 24/18 पवन कुमार कश्यप कनाम विनय कुमार कश्यप

II

05/2/19 - व. फ. उप० जबाब देते समय पाहते की प्रतिक्रिया
अनुसर दिया गया की प्रक्रावली वाले जबाब
दिनांक 12/3/19 को पेश हो।

12/3/19

प्रसाइडिंग ऑफिसर वीर/अवकाश
अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु
दिनांक 18/4/19 को पेश हो।

18/4/19

वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य
स्थिति रखे जा रहे से पत्रावली गत
आज्ञानुसार दिनांक 21/5/19 को पेश हो।

31/5/19

पत्रावली पेश हुई। वकील अर्धी उप०। अपायगिण की ओर से
कोई भी उप० नहीं है अपायगिण के विरुद्ध एक प्रस्थीय कार्यवाही
अमल में लगी जाती है। वकील अर्धी की प्राणपत्र अस्थाई
निषेधाज्ञा पर कट्टर सुनी गई। पत्रावली कदस्तावेजों का
अनतिक्रम किया गया है। कट्टर पर मनन किया गया।
शुद्ध कद तकसुमा व अर्धी निषेधाज्ञा का है। अपायगिण
व अपायगिण में। ता 3 रेकॉर्ड खोलने पर काबलकार है।
विवादित श्रेणी का विधिकत तकसुमा नहीं हुआ है।
जिस कारण उभयपक्षकारान को रिकॉर्ड व मौके यथास्थिति
बनाये रखने हेतु पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता
है। अतः उभयपक्षकारान विवादित आशजी शाल
की मुलवाद के विस्तारण तक मौके व रिकॉर्ड की
यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से
पाबंद किया जाता है। पत्रावली फलानुसार देखकर उक्त
नम्बर से कम हो तथा शुद्ध कद के संलग्न रहे।

Dumra
सहायक कलक्टर
चौमू (जयपुर)

